UPMO010030942026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–865/2026

अंकित कुमार उम्र 20 वर्ष पुत्र चन्द्रभान, निवासी मिलक नानपुर, थाना कुन्दरकी, जिला मुरादाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या-33/2026
धारा-85,74,115(2),352,351(2),75,
76 बी.एन.एस.व धारा-3/4 डी.पी.एक्ट
थाना-मैनाठेर, जिला-मुरादाबाद।

25.03.2026

1- अग्रिम जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' उपस्थित।

2- प्रार्थी/अभियुक्त अंकित कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 33/2026, धारा-85, 74, 115(2), 352, 351(2), 75, 76 बी.एन.एस. व धारा-3/4 डी.पी.एक्ट, थाना-मैनाठेर, जिला-मुरादाबाद के संबंध में अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3- सुना गया एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

4- पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 11.02.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, प्रार्थिनी की शादी हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार दिनाक 05.06.2025 को सुभनेश कुमार पुत्र चन्द्रभान सिंह, निवासी ग्राम मिलक नानपुर, थाना-कुन्दरकी, जिला मुरादाबाद के साथ हुई थी, जिसमें प्रार्थिनी के माता-पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था, जिसमें प्रार्थिनी के पिता ने एक बलेनो कार उपहार स्वरूप दी एवं सोने-चांदी के जेबर सहित लगभग 20 लाख रूपये शादी में खर्च किये, किन्तु शादी में दिये दान-दहेज से ससुराल वाले खुश नहीं थे तथा शादी के अगले दिन ही पति सुमनेश, चन्द्रभान सिंह पुत्र नामालूम (ससुर) राकेश देवी पत्नी चन्द्रभान सिंह

Digitally signed by Jitendra Singh
Date: 2026.03.25 14:44:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

(सास) चन्दसैन पुत्र चन्द्रभान (जेठ), सुनीता पत्नी चन्द्रसैन (जेठानी), अंकित कुमार व हिमाशु पुत्रगण चन्द्रभान सिंह (देवर), रिंकी पत्नी सचिन कुमार (ननद) निवासी ग्राम मिलक नानपुर, थाना- कुन्दरकी, जिला मुरादाबाद व सचिन पुत्र नामालूम (नन्दोई) निवासी डबल फाटक, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद, विपिन कुमार (नन्दोई) पुत्र नामालूम व अंजु पत्नी विपिन (ननद) निवासी ग्राम चांदपुर कुन्दरकी, मुरादाबाद ने दहेज की बेजा मांग करते हुए प्रार्थिनी को तंग व परेशान कर ताने देना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थिनी का पति प्रार्थिनी की मर्जी के बिना प्रार्थिनी के साथ जबरन अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाने लगा प्रार्थिनी ने ऐसा करने से मना किया तो उसके साथ जबरदस्ती मुखमैथुन करने लगा। प्रार्थिनी के विरोध करने पर प्रार्थिनी के साथ मारपीट की। प्रार्थिनी द्वारा माता पिता की ओर से असमर्थता जताने पर प्रार्थिनी को लगातार भूखा प्यासा रखने लगे और प्रार्थिनी को मारपीट कर घर से निकाल देने की धमकी देने लगे। प्रार्थिनी के उक्त सभी ससुराल वाले प्रार्थिनी के घर आये ओर प्रार्थिनी के माता पिता से कहने लगे कि हमे दहेज में एक थार कार तय हुई थी लेकिन पिता ने एक बेलेनो कार दी है और अब हमें दहेज में थार कार व 5,00,000/-रू नगद दो नहीं तो तुम्हारी बेटी को यूं ही तंग व परेशान करते रहेगें। इस बात पर प्रार्थिनी के पिता ने कहा कि हम आपकी बेजा मांगों को पूरा नहीं कर सकते। इस बात पर प्रार्थिनी के उक्त ससुराल वाले आग बबूला हो गये और कहने लगे कि हम तेरे साथ इस तरह का ही बर्ताव करेंगे जब तक हमारी माग पूरी नहीं कर देते हम तुम्हे ऐसे ही ही परेशान करेंगे करेंगे। प्रार्थिनी के देवर अंकित कुमार, हिमांशु प्रार्थिनी पर बुरी नजर रखते थे दिनांक 26.09.2025 की रात्रि को उपरोक्त दोनों मौका पाकर प्रार्थिनी के पति के गैर मौजूदगी में कमरे में घुस आये और जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया, प्रार्थिनी के शोर शराबे सब लोग इक्ट्ठा हो गये और कहने लगे कि यहाँ तो ऐसे ही चलेगा अगर तुझे रहना है तो रह नहीं तो अपने घर चली जा। दिनांक 27.09.2025 को प्रार्थिनी ने अपने पिता को फोन कर उपरोक्त घटना के बारे में वताया जिसके बाद प्रार्थिनी के भाई व भाभी प्रार्थिनी की ससुराल आये और समझाने का प्रयास किया लेकिन उपरोक्त सभी ने प्रार्थिनी व भाई व भाभी के साथ भी मारपीट की जिससे प्रार्थिनी व भाई व भागी के काफी गुम व खुली चोटें आयी और बेईज्जती करके प्रार्थिनी को मात्र पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया तथा दहेज की माग पूरी किये बिना वापस आने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थिनी तब से ही काफी भयभीत व परेशान है, जिसके बाद दिनाक

05.10.2025 को अपनी गलती मानते हुये थाने में बैठकर लिखकर ले गये और कहा कि, हम आगे भविष्य में परेशान नहीं करेंगे जिसके बाद दिनांक 07.11.2025 को मारपीट कर पहने हुये कपडो में गगन तिराहे पर प्रार्थिनी का पति सुमनेश व उसका भाई हिमांशु प्रार्थिनी को छोड़कर चले गये और तभी से प्रार्थिनी अपने मायके में रह रही है। वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण सुमनेश, चन्द्रभान सिंह, राकेश देवी, चन्द्रसैन, सुनीता, अंकित कुमार, हिमांशु, रिंकी, सचिन, विपिन कुमार व अंजु के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा-85, 74, 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. व 3/4 डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

5- प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किये गए हैं कि, प्रार्थी/अभियुक्त को रंजिश की विनाह पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतयः निर्दोष है। प्रार्थी ने ऐसा कृत्य नहीं किया है जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। वादिनी मुकदमा एक पढ़ी लिखी तेज तर्रार महिला है। वादिनी मुकदमा की शादी दि० 05.06.2025 को प्रार्थी के भाई के साथ सम्पन्न हुई थी। शादी के बाद से ही वादिनी मुकदमा ने प्रार्थी के भाई से कहा कि मेरी शादी मेरे परिवार वालों ने मेरी बिना इच्छा के की है तो प्रार्थी के भाई ने समझाने का प्रयास किया, परन्तु वादिनी मुकदमा के परिवार जनों ने नफा नाजायज प्राप्त करने की गरज से मुकदमा दर्ज कराया है। उपरोक्त मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई कारण नहीं दर्शाया है। प्रार्थी/अभियुक्त वादिनी मुकदमा का देवर है। प्रार्थी/अभियुक्त बी०ए० तृतीय वर्ष का छात्र है। उक्त मुकदमें की वादिनी प्रार्थी के भविष्य को बर्वाद करना चाहती है तथा घटना से पूर्व प्रार्थी के परिवारजनों को धमकी देती थी कि तुम्हारे परिवार की जिन्दगी बर्वाद कर दूंगी। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी ने वादिनी मुकदमा के साथ न ही कोई मारपीट की है और न ही वादिनी मुकदमा के कमरे में घुसकर किसी प्रकार की वारदात को अंजाम दिया है और न ही वादिनी मुकदमा से दहेज की कोई मांग की है, क्योंकि प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाया है, जो कि निराधार व असत्य है। प्रार्थी छात्र होने के कारण वादिनी मुकदमा उससे नफा नाजायज प्राप्त करना चाहती है। उपरोक्त वाद की वादिनी ने तहरीर में जिस प्रकार का कथन किया है, वह षडयन्त्र योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को फंसाया है। वादिनी मुकदमा व उसके परिवारजन अपनी नाजायज मांग पर अड़े हुए हैं। प्रार्थी के भाई ने एक प्रार्थना पत्र

दिनांक 27.09.2025 थाना-कुन्दरकी पर इस आशय से दिया था व वादिनी मुकदमा व उसके परिवारजन झूठा मुकदमा करना चाहते है तथा मेरे परिवार को फंसाने चाहते है। थाना हाजा पर एक समझौता दिनांक 27.09.2025 को दिये प्रार्थना पत्र पर हुआ जिस पर वादिनी मुकदमा व प्रार्थी के भाई के हस्ताक्षर मौजूद है। उक्त मुकदमें में जो गवाह दर्शाये गये है, वह हितवद्व साक्षी है। थाना हाजा पुलिस मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी की गिरफ्तारी करने के अत्यन्त करीब है। प्रार्थी का अपराध जमानत योग्य है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की याचना की गयी।

6- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

7- आवेदक की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था Satender Kumar Antil vs Central Bureau of Investigation & anr. special leave to appeal (crl.) no 5191/2021 निर्णीत दिनांक 07.10.2021 संदिर्भत की गयी है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि, आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के उपरांत भी सात वर्ष या उससे कम के कारावास से दण्डनीय मामलों में ऐसे अभियुक्ता, जिन्हें दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है, उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की जा सकती है।

8- इसके अतिरिक्त सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ दहली) एवं अन्य, ए.आई.आर. ऑनलाइन 2020 एस.सी. पृष्ठ 74 में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्ता की भूमिका, आरोप, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक के पूर्व कृत्य विशेषकर पूर्व में दोषिसिद्ध आदि, आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने की सम्भावना, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुॅचाने की नियत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक को धारा-34 व धारा-149 भा0 दं0 संहिता की सहायता से आरोपित करने की परिस्थिति, आवेदक को स्वतंत्र विचारण से प्रीज्युडिस होने और उसके निरूद्ध रहने से उसकी प्रताड़ना होने, आवेदक की अभिरक्षा अनुचित होने, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने-मोड़ने और वादी को धमकी देने की

परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचारण करना चाहिए।

9- मानीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि, प्रश्नगत घटना दिनांक 06.09.2025 की है, जिसकी तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दिनांक 11.02.2026 को दर्ज करायी गयी है। तहरीर में वर्णित कथनानुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा से अतिरिक्त दहेज में एक थार कार व दस लाख रूपये की मांग करने, उसे मारपीटकर प्रताड़ित करने, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसके साथ छेड़छाड़ करने व उसे विवस्त्र करने के आशय से उस पर हमला कर आपराधिक बल का प्रयोग करने आदि के आरोप हैं। प्रार्थी/अभियुक्त, पीड़िता का देवर है। पत्रावली में संलग्न मजरूबा की चिकित्सीय आख्या में उसके शरीर पर कोई दृश्यमान चोट न होना अंकित किया गया है। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपित अपराध सात वर्ष व उससे कम के दण्ड से दण्डनीय हैं। विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा-35(3) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 का नोटिस तामील कराया गया, जिसके उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त ने विवेचना में सहयोग किया है। विवेचक द्वारा बाद विवेचना आरोप पत्र तैयार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10- अतएव मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि-व्यवस्थाओं के आलोक में न्यायालय इस मत की है कि, प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम प्रार्थना पत्र निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अंकित कुमार द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 33/2026, धारा-85, 74, 115(2), 352, 351(2), 75, 76 बी.एन.एस. व धारा-3/4 डी.पी.एक्ट, थाना-मैनाठेर, जिला-मुरादाबाद के सम्बन्ध में, स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को 50,000/-रूपये (पचास हजार रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की एक प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)- आरोप की सुनवाई तक वह प्रत्येक नियत दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(ii)- दौरान विचारण साक्षीगण के उपस्थित आने पर वह किसी प्रकार का स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा तथा दौरान वाद निवास स्थान को परिवर्तित करने की दशा में न्यायालय को सूचित करेगा।

(iii)- न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगा।

उपरोक्त में से किसी शर्त के उल्लंघन होने पर आवेदक/अभियुक्त को प्रदत्त अग्रिम जमानत पर पुनर्विचार किया जा सकेगा।

(जितेन्द्र सिंह–।।)
कृते सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम),
कोर्ट संख्या–1, मुरादाबाद।
25.03.2026